2015 का विधेयक संख्यांक 179

[दि रेनवॉटर (कम्पलसरी हार्वेस्टिंग) बिल, 2015 का हिन्दी रूपांतर]

डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य

का

वर्षाजल (अनिवार्य संचयन) विधेयक, 2015

जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रत्येक गृहस्थी, व्यवसाय स्थापन और सरकारी भवन द्वारा वर्षाजल के अनिवार्य संचयन और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और विस्तार ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वर्षाजल (अनिवार्य संचयन) अधिनियम, 2015 है।

(*2*) इसका विस्तार केवल संघ राज्यक्षेत्रों पर है।

घोषणा।

2. एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि यह लोक हित में समीचीन है कि संघ सरकार देश में पेयजल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए देश में वर्षाजल का संरक्षण और संचयन करने हेतु उपाय करे।

परिभाषाएं।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''व्यवसाय स्थापन'' से अभिप्रेत है किसी व्यापार या कारोबार के संबंध में किसी कार्यालय या कारखाने के लिये प्रयुक्त कोई भवन;

(ख) ''सरकार'' से यथास्थिति केन्द्रीय सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अभिप्रेत है;

(ग) ''सरकारी भवन'' से अभिप्रेत है मंत्रालयों, विभागों, सरकारी उपक्रमों, सांविधिक निकायों या सरकार के स्वामित्व वाले या उसके द्वारा शासित निकाय तथा स्वायत्तशासी निकाय, स्थानीय स्वशासन निकाय और सरकार द्वारा प्रदत्त सरकारी कर्मचारियों के निवास क्षेत्र;

(घ) ''गृहस्थी'' से अभिप्रेत है किसी भी प्रकार का निवास एकक; और

(ङ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

सरकारी भवनों में वर्षाजल का अनिवार्य संचयन।

4. सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह सरकारी भवनों में वर्षाजल संचयन के लिए, ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, आवश्यक अवसंरचना के लिए उपबंध सुनिश्चित करे और ऐसे उपाय, जिन्हें वह आवश्यक समझे, कार्यान्वित करे।

गृहस्थियों और व्यवसाय स्थापनों द्वारा अनिवार्य वर्षाजल संचयन।

5. (*1*) प्रत्येक गृहस्थी और व्यवसाय स्थापन ऐसे समय के भीतर जो अधिसूचना में विहित किया जाए, छत पर वर्षाजल संचयन के लिए ऐसे उपाय, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, करेगा।

(*2*) उपखंड (*1*) के उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने का दायित्व गृहस्थी के मामले में उस गृहस्थी के मुखिया अथवा कर्ता पर होगा तथा व्यवसाय स्थापन के मामले में उस व्यक्ति, चाहे जिस नाम से भी उसे जाना जाए, जो इस स्थापन के कार्यकलापों के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी हो, पर होगा।

जलाशयों का संरक्षण करना सरकार का कर्तव्य होगा।

6. सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह वर्षाजल के परिरक्षण के लिए परंपरागत जलाशयों जैसे कुँओं, टैंकों, तालाबों, संकरी खाड़ी और जल विभाजकों का निर्माण और उनकी मरम्मत करे और वर्षाजल को बचाये ताकि भू-जल के स्तरों को पुनः भरा जा सके।

वर्षाजल संचयन के बारे में जनसाधारण को शिक्षित करने के लिए कार्ययोजना।

7. (*1*) सरकार छत पर वर्षाजल संचयन की प्रौद्योगिकी और लाभों के बारे में जनसाधारण को शिक्षित करने के लिए कार्य-योजना तैयार करेगी।

(*2*) उपखण्ड (*1*) के प्रयोजन के लिए ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य ऐसे अभिकरणों या संस्थाओं, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, को भी सहयोजित करेगी।

दंड।

8. इस अधिनियम के उपबंधों का अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को, साधारण कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जिसे एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा।

9. इस अधिनियम के उपबंध और उसके अधीन बनाए गए नियम, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

अधिनियम अन्य विधि के अल्पीकरण में नहीं होगा।

10. इस अधिनियम का उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होगा न कि उनके अल्पीकरण में।

नियम बनाने की शक्ति।

11. (*1*) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(*2*) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद की प्रत्येक सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र अथवा आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सभाएं उस नियम में कोई परिवर्तन अथवा उसे बातिल करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् यथास्थिति वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा अथवा निष्प्रभावी होगा। किंतु उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह अनुमान है कि हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग चार हजार बिलियन क्यूबिक मीटर वर्षा होती है तथा इस वर्षाजल का एक बड़ा भाग बेकार चला जाता है क्योंकि यह हमारे देश की नदियों के माध्यम से समुद्र में बह जाता है। वर्षा के जल की यह क्षति इस तथ्य के बावजूद हो रही है कि समूचे देश में पेयजल की भारी कमी है। जल एक दुर्लभ संसाधन है और देश में पीने तथा अन्य घरेलू प्रयोजनों के लिए इसकी उपलब्धता विशेष रूप से रेगिस्तानी एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार बहुत कम है। इस समस्या को हल करने का एकमात्र रास्ता यही है कि संचयन के माध्यम से इसे संरक्षित करके वर्षा के जल की क्षति को रोका जाए तथा भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाया जाए।

इस कार्यक्रम की सफलता के लिए देश के प्रत्येक भू-भाग के सर्वेक्षण की सहायता से उन क्षेत्रों, जहां सामान्य वर्षा नहीं होती है, की पहचान करना समय की मांग है। वर्षाजल संचयन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निजी क्षेत्रों तथा साथ ही गैर-सरकारी संगठनों को भौतिक तथा वित्तीय रूप में एक प्रमुख भूमिका निभानी है। पृथ्वी को बचाने के लिए हमें छत पर वर्षाजल संचयन को एक जन-आंदोलन बनाना होगा जिसमें सरकार तथा घर के प्रत्येक सदस्य की सहभागिता होगी तथा वर्षाजल जोकि जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है का संरक्षण किया जाएगा। इससे भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाया जा सकेगा जिसका प्रयोग पीने तथा अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। अत:, यह आवश्यक हो गया है कि जल के अभाव को दूर करने के लिए समूचे देश में छत पर वर्षाजल संचयन को आवश्यक बनाया जाए अन्यथा यदि हमने अभी कोई कदम नहीं उठाया तो इस संकट से निकट भविष्य में स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी।

चूंकि जल राज्य का विषय है अत: इस संबंध में राज्य सरकारों को पहल करनी चाहिए। लेकिन प्रथमत: केन्द्रीय सरकार को उनके द्वारा शासित क्षेत्रों में वर्षाजल के संचयन को अनिवार्य बनाकर इसकी पहल करनी चाहिए। राज्य सरकारें इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का अनुपालन कर सकती हैं तथा इसे राज्यों में अनिवार्य करा सकती हैं।

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली; उदित राज

7 *जुलाई*, 2015

16 *आषाढ़*, 1937 (*शक*)

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 4 सरकारी भवनों में वर्षाजल के अनिवार्य संचयन के लिए अवसंरचना के सृजन का उपबंध करता है। खंड 6 में यह उपबंध है कि केन्द्रीय सरकार वर्षाजल का परिरक्षण करने के लिए जलाशयों का निर्माण और मरम्मत सुनिश्चित कराएगी तथा खंड 7 में यह उपबंध है कि केन्द्रीय सरकार वर्षाजल संचयन की प्रौद्योगिकी और लाभों के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए कार्य-योजना तैयार करेगी और इस प्रयोजन हेतु गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र को सहयोजित करेगी। अत: विधेयक के अधिनियमित होने पर भारत की संचित निधि में से व्यय होने की संभावना है। यह अनुमान है कि इस पर प्रतिवर्ष एक हजार करोड़ रुपये का आवर्ती व्यय होने की संभावना है।

इस पर भारत की संचित निधि में से पांच हजार करोड़ रुपये का अनावर्ती व्यय होने की संभावना भी है।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खंड 11 विधेयक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। चूंकि नियमों का संबंध केवल ब्यौरे के मामले से होगा, अत: विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकार का है।

लोक सभा

———

जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रत्येक गृहस्थी, व्यवसाय स्थापन और
सरकारी भवन द्वारा वर्षाजल के अनिवार्य संचयन और उससे संबंधित या
उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध
करने के लिए
विधेयक

———

(डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य)

GMGIPMRND—1591LS(S3)—30-07-2015.